

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या: 1027/VII-1/2018/46 ख/17
देहरादून: दिनांक 05 जून, 2018
जुलाई

विज्ञापित

खनिज विकास एवं राजस्व हित में उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम-23(1) के प्रावधानानुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु जनपद उधमसिंहनगर के निम्न रिक्त क्षेत्र को विज्ञापित किये जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	ग्राम का नाम	नदी	खसरा सं०	तहसील	क्षेत्रफल	उपखनिज की संभावित मात्रा	उप खनिज का प्रकार	अभ्युक्ति
1.	दभौरा एहतमाली	कोसी नदी	354/6, 355/1, 357/2, 359/3	काशीपुर	1.403 है०	46299 टन	आर०बी०एम०	राजस्व क्षेत्र

2- उक्तानुसार घोषित रिक्त क्षेत्र से उपखनिज चुगान हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव

संख्या: 1027 (1)/VII-1/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।
3. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
4. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, जनपद हरिद्वार को सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ।
5. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
अपर सचिव